बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–94/2019 - 668 /पटना, दिनांक– 10/02/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL. NO	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Sonepur	Sonepur	NH-19 Gandhi Murty Se uttar Ki Ore Railway Line Tak	0.625	11.81400	6.91600	1.18140	19.91140
2	Sonepur	Sonepur	House of Raju Kumar To House of Dina Rai	0.700	13.76500	5.44700	1.37650	20.58850
3	Sonepur	Sonepur	Nabdiha Se Kharika Road	0.700	25.27700	5.74000	2.52770	33.54470
4	Sonepur	Sonepur	Harihamath Pahaleja Path par Nehalnath Mandir se Parbejabad Badurahi Village Tak	1.700	38.05400	15.27800	3.80540	57.13740
5	Sonepur	Sonepur	NH-19 To Lahladpur	0.720	13.15300	7.79700	1.31530	22.26530
6	Sonepur	Sonepur	NH-19 To Rasulpur Ganganadi	0.730	13.30300	7.89900	1.33030	22.53230
7	Sonepur	Sonepur	Sabalpur Panchayat Bhawan To Babhantoli Hokar Muslim Tola Hote Hue Bazar Tak	1.460	27.55600	16.73500	2.75560	47.04660
8	Sonepur	Sonepur	NH-19 Kasmar Near Ganga Nadi Tak	2.240	37.85700	24.08000	3.78570	65.72270
9	Sonepur	Dariyapur	Malkhachak To Kuraiya Via Balua Trilokchak	1.500	46.32400	16.52100	4.63240	67.47740
10	Sonepur	Dariyapur	Dariyapur To Garauna	1.610	32.25900	11.83100	3.22590	47.31590
11	Sonepur	Dariyapur	Shitalpur parsa road to mohmadpur	3.290	84.97700	36.10400	8.49770	129.57870
12	Sonepur	Dariyapur	Sunderpur pitch road yadurampur to hukara	2.590	75.24400	28.67900	7.52440	111.44740
13	Sonepur	Dariyapur	Sonepur Rawaghat road to magarpur nuran	4.950	125.16000	54.17000	12.51600	191.84600
14	Sonepur	Dariyapur	Dariyapur to Rampur Annat	5.640	136.22500	55.58500	13.62250	205.43250
15	Sonepur	Dariyapur	Sonepur rewaghat road to mager pal murtuja	2.930	72.33800	30.44300	7.23380	110.01480
16	Sonepur	Dariyapur	Parsa PWD road to Ramjitput via Jituarpur	7.000	196.12	77.315	19.61200	293.04700

10/2/2020

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

17	Sonpur	Dariyapur	Sitalpur Parsa road to Rajapur	4.000	96.72500	45.38500	9.67250	151.78250
18	Sonepur	Parsa	Brahampur To Vishunpur tak path nirman	1.500	36.82600	16.57700	3.68260	57.08560
19	Sonepur	Parsa	Patel Chowk to beligaon	2.200	52.77700	24.20500	5.27770	82.25970
20	Sonepur	Parsa	Gopalpur to Bariyarpur	3.155	71.48500	34.62300	7.14850	113.25650
21	Sonepur	Parsa	Fatehpur to beduliya	3.715	87.69400	40.82700	8.76940	137.29040
22	Sonepur	Parsa	Basauti to Jagannathpur	6.699	146.38200	73.41600	14.63820	234.43620
23	Sonepur	Parsa	Maheshiya To Shahar Chapra	1.070	21.428	11.922	2.14280	35.49280
24	Sonepur	Parsa	Parsa to Bhitta road	4.300	124.114	47.358	12.41140	183.88340
25	Sonepur	Parsa	Bankerwa devi asthan se bajdiha up to sonpur reva road via parsauna bazar	5.350	118.898	58.523	11.88980	189.31080
26	Sonepur	Parsa	Anjani to banauta via futani chowk	3.000	97.799	32.94	9.77990	140.51890
27	Sonepur	Maker	Maker to mahesh chapra	6.020	166.37100	64.13900	16.63710	247.14710
28	Sonepur	Maker	Fulwariya NH-102 se Bisunpur piprahi	4.110	79.06	34.115	7.90600	121.08100
Total				**83.504**	**2048.98500**	**884.57000**	**204.89850**	**3138.45350**

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, सोनपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019 में दिनांक 13.01.2020 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 3.2.2020 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–94/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

10/2/2020

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विर्नियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–94/2019 के पृ0– 25 /टि0 पर दिनांक–4.2.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

10/2/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–**94**/2019-668 /पटना, दिनांक– 10/02/2020

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/2020
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–**94**/2019-668 /पटना, दिनांक– 10/02/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **छपरा** /जिला पदाधिकारी, **छपरा** /उप विकास आयुक्त, **छपरा** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **छपरा**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **सोनपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी

10/2/2020
अपर सचिव